संख्या-130/2025/।/1173411/30-3-2025-1774083

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 12 दिसम्बर, 2025

विषय : प्रदेश में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ०प्र० अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की दिनाक 09.12.2025 को मा० परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ०प्र० सरकार की अध्यक्षता में आहूत प्रथम बैठक एवं प्राधिकरण के संचालन हेतु अन्य गतिविधियों के संबंध में व्यय होने वाली संभावित धनराशि रू0 20.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-202ज0परि0/2025/2025-01ज0परि0/2024, दिनांक 03-12-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ०प्र० अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की दिनाक 09.12.2025 को मा० परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ०प्र० सरकार की अध्यक्षता में आहूत प्रथम बैठक एवं प्राधिकरण के संचालन हेतु अन्य गतिविधियों के संबंध में व्यय होने वाली संभावित धनराशि रू0 20.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यक्रम हेतु परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-130/2025/ ।/1173411(1)/30-3-2025-**1774083**, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।